न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर

बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 48/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध) 2012|00043

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पूगल

प्रार्थी

बनाम

1– रामप्यारी पत्नि रूघाराम जाति सुथार सा. रामनगर तह. लूणकरणसर
2– मुखराम
3– हंसराज
4– किरताराम
5– मीरा
6– भंवरी
7– धापी
8– गुडी

पिसरान रूघाराम जाति सुथार सा. रामनगर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर

अप्रार्थीगण

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2– अप्रार्थी सं. 4 – अनुपस्थित
3– अप्रार्थी सं. 1 ता 3, 5,ता 8 ओर से – श्री बहादूरराम सुथार अधिवक्ता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

आदेश

दिनांक 20.09.2018

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार पूगल ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 9 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 104/16 किलां नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 20 व मुरब्बा नम्बर 104/15 किला नं. 6, 13 ता 19, 22 ता 25 कुल 12 की कुल 32 बीघा भूमि जो कि ग्राम राणेवाला के खसरा 93 व 96 की कुल रकबा 159.15 बीघा मिसल बन्दोबस्त में जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2065–2068 में वर्णित जोहड़ पायतन गैर मुमकिन भूमि की किस्म को मुमकिन काश्त में परिवर्तन कर सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ के निर्णय 27.12.1985 के द्वारा श्रीमती रामप्यारी, मुखराम, हंसराज, किरताराम, मीरा, भंवरी, धापी, गुडी को भूमि पुख्ता आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) बीकानेर

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 8 की ओर से श्री बहादूरराम सुथार अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 4 स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं आने पर इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 9 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 104/16 किलां नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 20 व मुरब्बा नम्बर 104/15 किला नं. 6, 13 ता 19, 22 ता 25 कुल 12 की कुल 32 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज थी। जिसे उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 27.12.1985 के द्वारा अप्रार्थी को आवंटित कर दी। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन आगौर पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि चक 9 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 104/16 किलां नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 20 व मुरब्बा नम्बर 104/15 किला नं. 6, 13 ता 19, 22 ता 25 कुल 12 की कुल 32 बीघा कृषि भूमि सहायक उपनिवेशन आयुक्त (ई.गा.न. योजना) छत्तरगढ़ द्वारा अप्रार्थीगण के पति/पिता को आवंटित नहीं की गई बल्कि राज्य सरकार द्वारा MFFR विस्थापितों को भूमि का आवंटन किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा किये गये आवंटन की अपील/रिवीजन/रिव्यू हो सकते रेफरेंस नहीं हो सकता। जो अप्रार्थीगण के पति/पिता के देहान्त उपरान्त अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड किया गया। अप्रार्थीगण को भूमि विस्थापितो के तौर पर आवंटित की गई है पुनः विस्तापित नहीं किया जा सकता। वादगत कृषि भूमि उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत जोहड़

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

पायतन हेतु बने आवंटन नियम के तहत आरक्षित मूल्य की कई गुना अधिक राशि चुकाकर आवंटन उपरान्त अप्रार्थीगण ने लाखों रूपये खर्च कर कृषि योग्य बनायी है। जिससे सैंकड़ो परिवार का पालन पोषण होता है। वादगत भूमि को आवंटित हुए तीस वर्ष हो चुके है जिसे रेफरेंस के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता । रेफरेंस प्रार्थना पत्र वेग व आधारहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है। अतः प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 93 एवं 98 की कुल भूमि रकबा 159.15 बीघा गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड है। जो कि मुताबिक उपनिवेशन विभाग की सूची नं. 4 के खसरा नम्बर 96 से चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 104/15 के किला 6, 13 ता 19, 22 ता 25 एवं मुरब्बा नम्बर 104/16 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 17, 19, 22 ता 25 व खसरा नम्बर 93 से चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नं. 104/16 के किला नम्बर 18 में पैमूद हुई। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के पति/पिता को आवंटित हुई है एवं प्रश्नगत भूमि के जरिये नामान्तरण संख्या 129 अप्रार्थीगण के नाम विरासतन दर्ज हुई है। बहस में अप्रार्थी की ओर से उठाया गया बिन्दु की प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई सही नहीं है। क्योंकि मुताबिक आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) 1975 के अन्तर्गत किया गया है। जिसके विरूद्ध रेफरेंस पोषणीय है। आवंटित की गई भूमि मुताबिक मिसल बन्दोबस्त ग्राम राणेवाला एवं सूची नं. 4 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही उस पर खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की होने के कारण अप्रार्थीगण के पति/पिता को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) बीकानेर

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में चक 9 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 104/16 किलां नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 20 व मुरब्बा नम्बर 104/15 किला नं. 6, 13 ता 19, 22 ता 25 कुल 12 की कुल 32 बीघा कमाण्ड/अनमाण्ड भूमि की बाबत उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.1985 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8. उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.11.2018 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9. आदेश आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ए.एव गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर